

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3/जांच) विभाग

क्रमांक: प.1(121)कार्मिक/क-3/जांच/2021

जयपुर, दिनांक:

29 JUL 2022

आदेश

श्री हिम्मत अभिलाष टाक, आई.पी.एस., तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जिला सिरोही को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.09.2021 एवं संशोधित आदेश दिनांक 07.09.2021 के द्वारा अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम-3 के उप नियम (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया गया था।

श्री हिम्मत अभिलाष टाक, आई.पी.एस. के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम-08 के अन्तर्गत लम्बित जांच कार्यवाही को प्रभावित किये बिना एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बन से बहाल किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—Eo—

शासन संयुक्त सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार (पुलिस-1 विभाग), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को उनके पत्र क्रमांक F.No.26011/37/2021-IPS.॥ दिनांक 05.10.2021 के क्रम में।
2. विशेषाधिकारी(वाई), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके बारकोड संख्या एफ22002926 दिनांक 29.07.2022 के क्रम में।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-1) विभाग को उनकी अशा टीप क्रमांक प.14(24)गृह-1/2021 दिनांक 04.09.2021 के सन्दर्भ में।
8. कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. अनुभागाधिकारी, कार्मिक (क-3/निरीक्षण) विभाग। 10(128)2022
10. कोषाधिकारी, अजमेर/जयपुर।
11. कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. श्री हिम्मत अभिलाष टाक, आई.पी.एस.(निलम्बित)
द्वारा:- शासन संयुक्त सचिव
कार्मिक (क-1) विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।


29/07/2022

शासन संयुक्त सचिव-प्रथम